न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
अपील संख्या – 01/2020
दायरा दिनांक – 27.01.2020
निर्णय दिनांक – 29-1-21

उनवान

1. सुरेश चौधरी पुत्र घडसी जाति जाट निवासी गिरुडी तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

–– अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत गिरुडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गिरुडी पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर राज0
2. सरती पत्नी घडसी जाति जाट
3. भरथाराम पुत्र घडसी जाति जाट
4. रतीराम पुत्र घडसी जाति जाट
5. बलबीर पुत्र घडसी जाति जाट

समस्त निवासीयान गिरुडी तहसील जिला अलवर राज0

–– रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं. 1190 वाके मौजा गिरुडी तहसील बानसूर दिनांक 05.06.2002

उपस्थित अधिवक्तागणः–
01. अपीलान्ट – श्री मनोज कुमार सोनी एड0
02. रेस्पोडेण्ट – श्री धर्मपाल चौधरी एड0

–:निर्णयः–

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आंर0 एक्ट के तहत नामान्तकरण सं. 1190 वाके मौजा गिरुडी ग्राम पंचायत गिरुडी के निर्णय दिनांक 05.06.2002 के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि हाल आ0ख0नं0 618 रकबा 0.68 साबिक ख0न0 453 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 619 रकबा 0.18 है0 साबिक ख0न0 454 रकबा 14 बिस्वा, 645 रकबा 0.20 है. साबिक ख0न0 478 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 133 रकबा 0.15 है0, साबिक ख0न0114 रकबा 12 बिस्वा, 135 रकबा 0.38 साबिक ख0नं0 116 मि. रकबा 0.38 है0, 140 रकबा 0.09 है0 साबिक ख0न0 119 रकबा 7 बिस्वा , 620 रकबा 0.18 है0, साबिक ख0न0 455 रकबा 14 बिस्वा , 633 रकबा 0.30 है0 साबिक ख0न0 467 रकबा 1 बीघा [illegible] 8 है0 साबिक ख0न0 461 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 629 र[illegible] है0, साबिक ख0न0 463 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके [illegible] के पिता घडसी पुत्र हेमा जाट की पैत्रिक आराजी रही है। उन[illegible] का नामान्[illegible] सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

119 दिनांक 05.06.2002 वाकै मौजा गिरुडी की फर्द भरते समय अपीलान्ट का सही नाम सुरेश को छोड कर गांव में बोलते नाम श्योदान के नाम दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया तथा मातहत अदालत भी ग्राम पंचायत गिरुडी के तत्कालीन सरपंच ने भी बिना जांच किये ही स्वीकार कर दिया। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गिरुडी का नामान्तकरण संख्या 1190 दिनांक 05.06. 2020 को खारीज किया जाकर मुताबिक राशन कार्ड , पहचान पत्र अनुसार सही नाम सुरेश के नाम से इंतकाल स्वीकार किया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पो0 को जये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 01 सरपंच ग्राम पंचायत गिरुडी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनकी अनु0 दर्ज की गई। रेस्पो0 सं0 02 लगा0 05 ने अपने शपथ पत्र पेश कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र जेर दफा–5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी के समय को कन्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद ग्रहण की गई। मूल नामान्तकरण संख्या 1190 वाकै मौजा तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अपीलान्ट का नाम मुताबिक पहचान पत्र, राशन कार्ड अनुसार सुरेश पुत्र घडसी है जबकि ग्राम पंचायत गिरुडी द्वारा बिना जाँच किये ही पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तकरण सं0 1190 को अपीलान्ट के गाँव के बोलते नाम श्योदान के नाम से दिनांक 05.06.2002 को विधिवत जांच किये बिना ही निर्णय कर दिया। उक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 1190 वाकै मौजा गिरुडी ग्राम पंचायत गिरुडी के निर्णय दिनांक 05.06.2002 को अपीलान्ट की हद तक अपास्त (खारिज) किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे नामान्करण संख्या 1190 वाकै मौजा गिरुडी की जाँच कर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर, जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 29-1-21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner